

## दुर्गा महाविद्यालय से संबंधित जानकारी

1. दुर्गा महाविद्यालय, दुर्गा शिक्षण समिति, रायपुर द्वारा संचालित एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से संबंधित छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है।
2. दुर्गा शिक्षण समिति का गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किया गया है जिसके द्वारा दुर्गा महाविद्यालय का संचालन विश्वविद्यालय अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुसार किया जाता है।
3. विभागीय संरचना के अंतर्गत प्राचार्य संस्था प्रमुख एवं उसके अधिनस्थ शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत है। महाविद्यालय का संचालन शासी निकाय के माध्यम से किया जाता है जिसकी नियमित बैठक होती है।
4. संस्था के कर्मचारी अपने पद के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु दायित्वाधीन है।
5. महाविद्यालय के नियमित एवं स्वीकृत अनुदान प्राप्त पदों हेतु कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को शासन से प्राप्त अनुदान (वेतन अनुदान) के अनुसार भुगतान किया जाता है। अन्य पदों हेतु शासी निकाय द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाता है। नियमानुसार प्रोविडेंट फण्ड एवं ग्रुप इन्श्योरेंस कर्मचारी बीमा योजना आदि के प्रावधान किया गया है। वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है।
6. महाविद्यालय में कम्प्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल, वेबसाइट आदि का प्रावधान है।
7. महाविद्यालय का प्रतिवर्ष आडिट (लेखा परीक्षण) कराया जाता है।
8. महाविद्यालय के संचालन, कार्यक्रमों का संपादन एवं दायित्वों के निर्वहन के संबंध में समय-समय पर प्राचार्य द्वारा अनुदेश जारी किये जाते हैं।

9. दुर्गा महाविद्यालय का इतिहास सन् 1951 से प्रारंभ होता है। कला संकाय में 11 विषयों में स्नातक स्तर 05 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा तथा 02 विषयों में एम.फिल. के अध्ययन की सुविधा है। दुर्गा महाविद्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा 08 विषयों में पीएचडी शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। साथ ही बी.एड. बी.सी.ए., बी.बी.ए., पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।
10. महाविद्यालय में एनसीसी (थल, वायु, और महिलाविंग) और एन.एस.एस. की इकाई संचालित है।
11. शासकीय नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) विकलांग तथा स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र/पुत्री एवं पौत्र/पौत्री को आरक्षण की सुविधा प्राप्त है।
12. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। रैगिंग में लिप्त होने पर (1) प्रवेश निरस्त किया जाना। (2) संस्था से निष्कासित किया जाना। (3) छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना। 4. परीक्षाओं से वंचित करना। (5) परीक्षा परिणाम रोकना। (6) युवा उत्सवों में भाग लेने पर प्रतिबंध। (7) 5 साल तक की करावास या 5000 रुपये जुर्माना दोनों की सजा का प्रावधान है।
13. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश क्रमांक 06 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।
14. दुर्गा महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
15. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्तावित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन 31 दिसंबर तक संपन्न कराने का प्रावधान है।
16. महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्देशित लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू है।

17. महाविद्यालय के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम एवं दूरभाष क्रमांक निम्नांकित है—

अ. जनसूचना अधिकारी  
डॉ. राजेश शुक्ला,  
सहायक प्राध्यापक—समाजशास्त्र  
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)  
मोबाइल नंबर — 9893644859

ब. प्रथम अपीलीय अधिकारी  
डॉ. एस.एस. खनूजा,  
प्राचार्य  
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)  
मोबाइल नंबर — 9303377000

प्राचार्य  
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)